# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– सुमन शर्मा, आर.ए.एस.

वाद संख्या :– 53/2023

कुशलनाथ सिद्व पुत्र दरामनाथ जाति सिद्व निवासी दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरू

वादी

बनाम

1. बादूदेवी पत्नि लालूराम जाति जाट निवासी ढाणी पोटलियान तहसील बीदासर जिला चूरू
2. दुलाराम पुत्र लालूराम जाति जाट निवासी ढाणी पोटलियान तहसील बीदासर जिला चूरू
3. नोरताराम पुत्र लालूराम जाति जाट निवासी ढाणी पोटलियान तहसील बीदासर जिला चूरू
4. राजुराम पुत्र लालूराम जाति जाट निवासी ढाणी पोटलियान तहसील बीदासर जिला चूरू
5. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

**दावा विभाजन, चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्ति बाबत।**

उपस्थित :–

1. मनोज गोदारा एडवोकेट वास्ते वादी

## –: निर्णय :–

दिनांकः– 24-5-2024

वादपत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 4 चार के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का खेत खसरा संख्या 2055/1115 दो हजार पचपन बट्टा एक हजार एक सो पन्द्रह तादादी 6.1335 छः दशमलव एक तीन तीन पांच हेक्टेयर वाके रोही ग्राम ढाणी पोटलियान तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है जिसमें वादी 1054/20445 एक हजार चोपन बट्टा बीस हजार चार सो पेंतालीस हिस्सा भूमि का खातेदार कृषक है। वादगत भूमि का मौके पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 4 चार की हिस्सा भूमि का मौखिक विभाजन किया हुआ है। मौखिक विभाजन के मुताबिक वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 4 चार अपने–अपने हिस्से की भूमि को काश्त करते आ रहे है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 4 चार का खान–पान, रहन–सहन अलग–अलग है। वादगत खेत की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से अंकित होने के कारण वादी को सरकारी लाभांश प्राप्त करने में भारी परेशानी उठानी पड रही है। इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह अपनी

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

संयुक्त खातेदारी भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर अपने हिस्से की खातेदारी भूमि राजस्व रेकार्ड में पृथक अंकित करवाकर लगान का विभाजन कराये। जिसके लिए वादी को कानूनी अधिकार प्राप्त है। वादी ने दिनांक 01.11.2023 को प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 4 चार से मौखिक रूप से निवेदन किया कि वादगत खेत का विधिवत विभाजन करवाकर अपने–अपने हिस्से की खातेदारी भूमि पृथक–पृथक राजस्व रेकार्ड में अंकित कराये। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 4 चार साफ इनकार हो गये तथा प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 4 चार ने वादी को ऐलानीयां तोर पर धमकियां दी कि वोह अच्छी किश्म की भूमि पर जबरन बलपूर्वक कब्जा करके वादी को बेदखल करेंगे तथा किसी भूमाफियों को विक्रय करके अच्छी किश्म की भूमि का कब्जा करवाकर ही रहेगे, जबकि ऐसा करने का प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 4 चार को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 4 चार अपने गैरकानूनी कृत्य में सफल हो गये तो वादी को न केवल अपूर्तिय क्षति होगी बल्कि भयंकर असुविधा भी होगी। इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय से चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त कर प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 4 चार को वर्जित कराये कि वोह वादी को अपनी हिस्सा भूमि से जबरन बलपूर्वक कब्जा करके बेदखल नहीं करें और जब तक विधिवत रूप से विभाजन नहीं हो जाता तब तक किसी हिस्से या अंश को विक्रय हस्तांतरण रहन आदि नहीं करें ओर ना ही वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधायें रूकावटें आदि पैदा करें या किसी अन्य से करवायें। वादगत खेत वादी के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का होने से वादी को वादाधार प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 4 चार की ऐलानियां धमकियां से वादी को वाद हेतुक प्राप्त है। राज्य संरकार भू धारक है जो वाद में आवश्यक पक्षकार है। कानूनी आपतियों को मध्य नजर रखते हुए राजस्थान सरकार को वाद में प्रतिवादी संख्या 5 पांच के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है। वाद वादी संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन एंव चिर निषेधाज्ञा डिक्री प्राप्ति का है। वादगत खेत रोही ग्राम ढाणी पोटलियान तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है इसलिए इस वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। वाद वादी निर्धारित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। आदि–आदि अंकित कर वाद पत्र पेश किया।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बावजुद तामिल अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ एक

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वाद में पेरोकार राज ने राजहित नहीं होना अंकित किया है। वादी वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वादी वकील ने दौराने बहस दावे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वाद को डिक्री करने का निवेदन किया।

वादी वकील की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जो अभिवचन वादी द्वारा वाद में किए गए है उसका विरोध इस न्यायालय में किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया है। इस कारण इस वाद में तनकीयात कायम नहीं की गई। वादी कब्जा काश्त के आधार पर वादगत भूमि में अपनी 1054/20445 हिस्सा भूमि का विभाजन करवाना चाहता है जो न्यायोचित प्रतीत होता है।

## —: आदेश :—

अतः वादी का वाद विभाजन का स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री इसं प्रकार जारी की जाती है कि वादगत भूमि रोही ग्राम ढाणी पोटलियान खसरा संख्या 2055/1115 तादादी 6.1335 हेक्टेयर भूमि वादी की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें वादी का 1054/20445 हिस्सा है। इस हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी हो। तहसीलदार बीदासर को आदेश दिया जाता है कि वादगत भूमि में केवल वादी की 1054/20445 हिस्सा भूमि का कब्जा काश्त के आधार पर खाता विभाजन का प्रस्ताव तैयार कर भिजवावें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 24-05-2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर